दिनांक–03 जुलाई, 2012 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय :–

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

1. ''अल्पसंख्यक छात्रों/छात्राओं को लोक सेवा आयोग की तैयारी हेतु कोचिंग की व्यवस्था'' के सफल संचालन हेतु मार्ग निर्देशिका–2012 की स्वीकृति के संबंध में। — स्वीकृत।

उद्योग विभाग

2. वित्तीय वर्ष 2012–13 में बिहार फाउण्डेशन हेतु ₹ 50.00 (पचास) लाख सहायक अनुदान की स्वीकृति का प्रस्ताव। — स्वीकृत।

कृषि विभाग

4. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के शिक्षकों/ वैज्ञानिकों की सेवा निवृत्ति की उम्र सीमा 62 वर्ष से 65 वर्ष करने के संबंध में। — स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

5. इलेक्ट्रॉनिक विधि से प्रपत्र 'सी' के निर्गमन तथा मालों के आवागमन पर इलेक्ट्रॉनिक विधि से नियंत्रण के संबंध में। — स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

6. वाणिज्य–कर न्यायाधिकरण के सदस्य (लेखा) के पद पर श्री खगेन्द्रनाथ माहातो की नियुक्ति के संबंध में। — स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

7. गया जिला के अन्तर्गत 220 KV/DC डेहरी–बोधगया पारेषण लाईन के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत 0.162 हे० वन भूमि अपयोजन की स्वीकृति का प्रस्ताव। — स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

8. सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन बिहार सचिवालय सेवा के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान ₹ 10,000–15,200/– (पुनरीक्षित वेतनमान पे–बैंड–3 तथा ग्रेड वेतन–₹ 6600/–) में प्रदत्त द्वितीय वित्तीय उन्नयन एवं रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के तहत वेतनमान पे बैंड–3 तथा ग्रेड वेतन–₹ 7600/– में प्रदत्त तृतीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के संबंध में। — स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

9. सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–14811/2004, 8247/2008, 435/2009, 489/2009 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–18.12.2009 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विघटित बिहार राज्य विश्वविद्यालय (अंगीभूत महाविद्यालय) सेवा आयोग, पटना के सेवा निवृत्त/मृत कर्मियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन भुगतान करने हेतु कुल रू० 34,85,000/–(चौंतीस लाख पच्चासी हजार रूपये) स्वीकृत करने के संबंध में। — स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

10. राज्य के 10+2 माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद् एवं विभिन्न शहरी निकायों में नियोजित 3944 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में नियत वेतन के भुगतान हेतु ₹44,10,09,200 (चौवालीस करोड़ दस लाख नौ हजार दो सौ) एवं विगत वित्तीय वर्षों के बकाया वेतनादि भुगतान हेतु ₹1,07,53,800 (एक करोड़ सात लाख तिरपन हजार आठ सौ) अर्थात् कुल ₹45,17,63,000 (पैंतालीस करोड़ सतरह लाख तिरसठ हजार) रूपये मात्र के विरूद्ध तत्काल ₹44,75,85,500 (चौवालीस करोड़ पचहत्तर लाख पचासी हजार पाँच सौ) रूपये मात्र विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

11. राज्य के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2012–13 के वेतनादि, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से आच्छादित मामलों एवं पूर्ववर्ती वर्षों का बकाया वेतनादि के भुगतान हेतु कुल ₹ 40,00,00,000/–(चालीस करोड़) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति के संबंध में। — स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

12. डॉ० बनबारी लाल, तत्कालीन जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

13. पटना में अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के साइंस सिटी के निर्माण की सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं इस हेतु ''मास्टर प्लान कन्सलटेंट'' के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ करने की स्वीकृति के संबंध में। — स्वीकृत।